2019 का विधेयक संख्यांक 81

[दि जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019

जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह 1 मार्च, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा ।

धारा 2 का संशोधन ।

2. जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (ण) में,— 2004 का 14

(क) उपखंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए क्षेत्र में निवास कर रहे व्यक्ति ;" और ;

(ख) दूसरे परंतुक के, खंड (ix) में, परंतुक में "वास्तविक नियंत्रण रेखा" शब्दों के स्थान पर "वास्तविक नियंत्रण रेखा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 3 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (2) में, "वास्तविक नियंत्रण रेखा" शब्द जहां कहीं वे आते हैं, के स्थान पर "वास्तविक नियंत्रण रेखा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा" शब्द रखे जाएंगे ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

4. (1) जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 का निरसन किया जाता है । 2019 का अध्यादेश सं. 8

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 और तदधीन बनाए गए नियम फायदाग्राहियों, जिसके अंतर्गत वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे हुए क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्ति सम्मिलित हैं, के विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण का उपबंध करते हैं । किंतु आरक्षण का फायदा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं था या उन तक विस्तारित नहीं था ।

2. सीमा पार से लगातार तनाव के कारण अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्ति सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से पीड़ित होते हैं । यह स्थिति इन निवासियों को अन्य सुरक्षित स्थानों पर प्रस्थान करने के लिए प्राय: विवश करती है, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति और शैक्षिक स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों की उन्हें अधिनियम की परिधि में लाने की और उन्हें वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे हुए क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों के समान करने की सतत मांग थी ।

3. भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में सा.का.नि. 1223(अ) तारीख 19 दिसंबर, 2018 द्वारा एक उदघोषणा जारी की, जिसके द्वारा यह घोषित किया कि जम्मू-कश्मीर राज्य के विधान मंडल की शक्तियां संसद् द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी । वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे हुए क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों के समान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों को आरक्षण के फायदे का उपबंध करने की शीघ्रता को ध्यान में रखते हुए, अधिनियम का संशोधन करना आवश्यक हो गया था ।

4. जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2019, जो जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 को प्रतिस्थापित करने के लिए है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों की उनके समग्र सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक विकास की दीर्घकाल से लंबित मांग को पूरा करेगा । यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में बड़ी संख्या में निवास कर रहे लोगों को वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे हुए क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों को उपलब्ध आरक्षण का फायदा उठाने में समर्थ बनाएगा ।

5. चूंकि संसद् सत्र में नहीं थी और शीघ्र विधान बनाने की आवश्यकता थी, राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) के अधीन जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) अध्यादेश, 2019 प्रख्यापित किया ।

6. विधेयक उपरोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है ।

नई दिल्ली ;
15 जून, 2019

अमित शाह

उपाबंध

जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 (2004 का अधिनियम संख्यांक 14) से उद्धरण

* * * * * *

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--

* * * * * *

(ण) "सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्गों से" अभिप्रेत है–

* * * * * *

(ii) वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे हुए क्षेत्र में निवास कर रहे व्यक्ति ; और

* * * * * *

(ix) कोई व्यक्ति जिसकी सभी स्रोतों से विहित रीति में अवधारित आय आठ लाख रुपए या ऐसी रकम जो सरकार द्वारा समय-समय पर विहित मानकों के अनुसार अधिसूचित की जाए से अधिक है :

परन्तु यह कि आय की ऊपरी सीमा ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होगी जो, यथास्थिति, किसी ऐसे क्षेत्र में रहा है और जिसने अपनी संपूर्ण विद्यालय शिक्षा ऐसे क्षेत्र से पूरी की है जिसकी पिछड़ा क्षेत्र या वास्तविक नियंत्रण रेखा के रूप में पहचान की गई है और ऐसे क्षेत्र में ऐसी विद्यालय शिक्षा उपलब्ध न होने की दशा में नजदीकतम लगे हुए क्षेत्र से पूरी की है ;

* * * * * *

अध्याय 2

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति में आरक्षण

नियुक्ति में आरक्षण ।

3. (1) * * * * *

(2) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी व्यक्ति के पिछड़ा क्षेत्र या वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे हुए किसी क्षेत्र का निवासी होने के नाते किसी उपलब्ध रिक्ति पर नियुक्त व्यक्ति, ऐसे क्षेत्रों में सात वर्ष से अन्यून अवधि के लिए सेवा करेगा :

परन्तु पद जिस पर उसकी नियुक्ति की गई है, ऐसे क्षेत्र में उपलब्ध न होने की दशा में उसे नजदीकतम लगे हुए पिछड़े क्षेत्र में तैनात किया जाएगा ।

* * * * * *

MGIPMRND—550LS(CRC)—17-6-2019.